प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2018-19

छत्तीसगढ़ शासन

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
तथा
20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2018-19

छत्तीसगढ़ शासन

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
तथा
20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

प्रस्तावना

विभाग द्वारा वर्ष 2018—19 का प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रतिवेदन में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत आने वाले विभागाध्यक्ष कार्यालयों/आयोग की गतिविधियों एवं उनके द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी संकलित की गई है।

साथ ही 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग तथा उसके अंतर्गत आने वाले विभागाध्यक्ष कार्यालय/ आयोग की जानकारी संकलित की गई है।

अपर मुख्य सचिव,
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

1.	विभाग का नाम	:	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
2.	प्रभारी मंत्री का नाम	:	श्री टी.एस.सिंहदेव

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय में पदस्थ अधिकारीगण

अपर मुख्य सचिव	:	श्री सी.के.खेतान
सचिव	:	श्री आशीष कुमार भट्ट
संयुक्त सचिव	:	श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी
अवर सचिव	:	श्री आर.एस. ब्रह्मभट्ट

विभागाध्यक्ष के रूप में पदस्थ अधिकारी

आयुक्त सह संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी	:	श्री आशीष कुमार भट्ट

आयोग में पदस्थ अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग	:	अध्यक्षः मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ उपाध्यक्ष : – सदस्य सचिव–श्री जे.एस.विरदी

20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय में पदस्थ अधिकारी

अपर मुख्य सचिव	:	श्री सी.के.खेतान
उप सचिव	:	श्री जी.आर.मालवीय
अवर सचिव	:	श्री ए. केरकेट्टा

विभागाध्यक्ष के रूप में पदस्थ अधिकारी

आयुक्त सह संचालक, 20 सूत्रीय कार्यक्रम	:	श्री आशीष कुमार भट्ट

20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य स्तरीय समीक्षा समिति
में पदस्थ अध्यक्ष/उपाध्यक्ष

राज्य स्तरीय समीक्षा समिति	:	अध्यक्षः मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ उपाध्यक्षः –

विषय-सूची

क्र	विभाग	संचालनालय/आयोग	पृष्ठ संख्या
1	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	1. आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय	1 – 13
		2. राज्य योजना आयोग	14 – 26
2	20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन	1. 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	27 – 32

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, इन्द्रावती-भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर

भाग - एक

विभागीय संरचना

राज्य की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में समन्वय, क्षेत्र सर्वेक्षण तथा विविध विषयों पर सांख्यिकी के एकत्रीकरण, सारणीयन एवं संकलित जानकारी के प्रस्तुतीकरण इत्यादि कार्यों को संपादित करने हेतु राज्य, जिला एवं जनपद मुख्यालय पर विभिन्न संवर्गों के अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ हैं। वर्तमान में स्वीकृत एवं कार्यरत अमले का विवरण **परिशिष्ट—एक** में दर्शाया गया है ।

अधीनस्थ कार्यालय

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के अधीनस्थ जिला स्तर पर प्रदेश के 27 जिलों में जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय स्थापित है। संचालनालय में प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यों के निष्पादन हेतु 09 संभाग हैं जिनका विवरण **परिशिष्ट—दो** में दर्शाया गया है ।

संचालनालय के दायित्व

शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के सविन्यास, प्रशासन एवं विकास से संबंधित आधारभूत सांख्यिकी का संकलन, सर्वेक्षण, विश्लेषण, मूल्यांकन तथा उन्हें प्रकाशित कर सामाजार्थिक स्थिति का स्पष्ट एवं वास्तविक चित्रांकन करने एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों की सांख्यिकी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने का महत्वपूर्ण दायित्व इस संचालनालय का है। राज्य शासन द्वारा संचालनालय को इस हेतु नोडल अभिकरण घोषित किया गया है ।

संचालनालय के प्रमुख कार्य

1. सामान्य जानकारी

1.1 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के विन्यास हेतु विकास कार्यक्रमों एवं प्रशासकीय उपयोग हेतु वांछित सांख्यिकी का संकलन एवं विश्लेषण कार्य संपादित किया जाता है, साथ ही राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थिति का आंकलन करने के अलावा राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा अपेक्षित सर्वेक्षण/मूल्यांकन अध्ययनों का निष्पादन का दायित्व भी संचालनालय का है ।

1.2 प्रचलित अधिनियम तथा नियम निम्नानुसार है :–

(अ) कारखाना अधिनियम,1948

(ब) जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

(स) छत्तीसगढ़ राज्य जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001

(द) सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008

(ई) सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011

1.3 संचालनालय अपने तकनीकी कार्यों के संपादन हेतु राष्ट्रीय नीति का पूर्णतः अनुसरण करता है । इसके अंतर्गत भारत सरकार के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण कार्यालय, भारत के महारजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु पंजीयन) एवं नीति–आयोग के अनुदेशों तथा निर्देशों के अनुरूप उपयोगी सांख्यिकी का निर्धारित प्रारूपों में संकलन, संधारण तथा विभिन्न प्रकाशनों का प्रकाशन किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अनुसूचियों द्वारा राज्य स्तर पर भी संचालनालय में सर्वेक्षण संपादित किया जाता हैं।

1.4 केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मार्गदर्शन में राज्य के सकल/निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार किये जाते है ।

1.5 संचालनालय की सांख्यिकी गतिविधियों का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय नीतियों के परिपेक्ष्य में राज्य के सांख्यिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण कर प्रशासन, योजनाविदों तथा शोधकर्ताओं को उपयोगी सांख्यिकी उपलब्ध कराना है ।

2 प्रमुख गतिविधियाँ

2.1 राज्य की अर्थव्यवस्था संबंधी प्रकाशन

राज्य की सामाजिक स्थिति तथा उसे प्रभावित करने वाले प्रमुख घटकों एवं नीतियों का वार्षिक विश्लेषणात्मक अध्ययन छत्तीसगढ़ का **आर्थिक सर्वेक्षण** के रूप में प्रकाशित किया जाता है । प्रकाशन के अंतर्गत प्रमुख रूप से राज्यीय आय, कृषि– उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य विकास, वानिकी, जल–संसाधन, ऊर्जा, उद्योग, खनिज, परिवहन, श्रम एवं रोजगार, सहकारिता एवं बैंकिंग तथा सामाजिक क्षेत्र से संबंधित विभागों की विकासात्मक गतिविधियों के संबंध में अद्यतन जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। प्रतिवर्ष विधानसभा के बजट सत्र में यह प्रकाशन माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराया जाता है ।

2.2 राज्यीय आय (राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान)

राज्य की अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का आकलन करने के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत सरकार के मार्गदर्शन में प्रतिवर्ष **राज्य के सकल/निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान** (प्रचलित एवं स्थिर भावों पर) तैयार किये जाते है । इन अनुमानों को राज्यीय आय अध्याय के रूप में आर्थिक सर्वेक्षण में शामिल कर प्रतिवर्ष विधान सभा के बजट सत्र में पटल पर रखा जाता है ।

2.3 बजट विश्लेषण

राज्य के वार्षिक बजट का **आर्थिक उद्देश्यवार वर्गीकरण** भी संचालनालय द्वारा किया जाता है, जो राज्य की प्राथमिकताओं का सूचक है। संचालनालय द्वारा केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2018–19 की अवधि में राज्य शासन की वार्षिक बजट 2018–19 की जानकारी तैयार कर केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय एवं संचालनालय के राज्यीय आय संभाग को क्रमशः राष्ट्रीय आय एवं राज्यीय आय के अनुमान तैयार करने हेतु उपलब्ध कराया गया है।

2.4 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्य

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 76 वें दौर में ''पेयजल, स्वच्छता, आरोग्यता एवं आवासीय स्थिति तथा दिव्यांगजन'' विषय पर जुलाई 2018 से दिसम्बर 2018 तक दो चरणों में सर्वे कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उक्त दौर का क्षेत्रीय सर्वे कार्य एवं डाटा एंट्री कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 77[वें] दौर में ''परिवारों की भूमि एवं पशुधन धारिता एवं कृषक परिवारों की स्थिति के आंकलन तथा ऋण एवं निवेश'' विषय पर जनवरी 2019 से दिसम्बर 2019 तक कुल आबंटित 192 प्रतिदर्शो का सर्वेक्षण कार्य किया जाना है, जिसमें प्रथम उपदौर के 96 एवं द्वितीय उपदौर के 96 प्रतिदर्शों हेतु विस्तृत अनुसूची 0.0, 33.1, तथा 18.2 में डाटा संग्रहण का कार्य पूर्ण किया जाना है

2.5 जन्म–मृत्यु पंजीयन कार्य

राज्य में जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन कार्य भारत सरकार के जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं छत्तीसगढ जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001 के प्रावधानों के तहत किया जाता है।

उक्त अधिनियम एवं नियम में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा निम्नांकित पदाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है –

पदनाम	पदाधिकारी	अधिकारिता
संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी	मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
संयुक्त संचालक (जीवनांक)	संयुक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
उप संचालक (जीवनांक)	उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
सहायक संचालक (जीवनांक)	सहायक मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
संभागीय आयुक्त	संभागीय मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	राजस्व संभाग के भीतर
कलेक्टर	अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	राजस्व जिले के भीतर
मुख्य कार्य० अधि० जिला पंचायत	सहा० अति ० मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	राजस्व जिले के भीतर
जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु),	जिले के भीतर
मुख्य कार्य० अधि० जनपद पंचायत	अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	जनपद पंचायत के भीतर
आयुक्त, नगर निगम / मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर पंचायत	रजिस्ट्रार, जन्म–मृत्यु	निकाय क्षेत्र में
सचिव, ग्राम पंचायत	रजिस्ट्रार, जन्म–मृत्यु	पंचायत क्षेत्र में
प्रभारी अधिकारी, समस्त शासकीय अस्पताल	रजिस्ट्रार, जन्म–मृत्यु	संस्था में

जन्म–मृत्यु पंजीयन के सुदृढ़ीकरण हेतु शासन के प्रयास –

छत्तीसगढ़ राज्य में जन्म एवं मृत्यु पंजीयन के सुदृढ़ीकरण को एक अभियान के रूप में लिया गया है। जन्म एवं मृत्यु पंजीयन स्तर में विधि एवं सरलीकरण करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं –

1. राज्य के समस्त शासकीय अस्पतालों को पंजीयन इकाई बनाया गया है।
2. विलंबित पंजीयन शुल्क को वर्ष 2014 से आगामी पांच वर्ष तक 1 रूपया किया गया है, जिसका वहन राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा अर्थात जन्म और मृत्यु का पंजीयन पूर्णतः निःशुल्क किया गया है।
3. जन्म और मृत्यु पंजीयन के संबंध में जिलों एवं पंजीयन इकाईयों का सघन निरीक्षण किया गया है, साथ ही मैदानी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
4. विलंबित पंजीयन को सरल करने हेतु आवश्यक शपथ पत्र (नोटरी) के स्थान पर स्व–प्रमाणित शपथ पत्र को मान्य किया गया है, जिसे ए.एन.एम. / एम.पी.डब्ल्यू. / स्कूल के प्राचार्य द्वारा सत्यापित किया जाता है।
5. उपरोक्तानुसार किए गए प्रयासों के फलस्वरूप निम्नानुसार उपलब्धियां रही है –

जन्म पंजीयन का प्रतिशत – वर्ष 2015 –102% , 2016 – 110.34% , 2017 – 102.19%

मृत्यु पंजीयन का प्रतिशत – वर्ष 2015–86%, 2016–87.57%, 2017–82.11%

साथ ही वर्ष 2018 में MIS के अनुसार वर्तमान में जन्म पंजीयन 82% एवं मृत्यु पंजीयन 75% हुआ है।

2.6 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतिम औद्योगिक श्रमिको के परिवारिक आय–व्ययों का पायलेट सर्वेक्षण भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम ब्यूरो–शिमला के द्वारा सम्पन्न कराया जा रहा है। वर्ष 2014–15 में छत्तीसगढ राज्य के तीन जिलों का चयन कर लिया गया है। चयनित जिलों के अंतिम बाजार निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	जिला	बाजार
1	रायपुर	I- गोल बाजार
		II- बीरगांव
2	कोरबा	I- निहारिका
		II- कोसाबाड़ी
		III- ट्रांसपोर्ट नगर
3	दुर्ग (भिलाई)	I- आकाशगंगा
		II- केम्प–2

वार्षिक कार्यकलाप

(क) वर्ष 2018–19 में प्रकाशित प्रकाशन

(1) छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19 (फरवरी 2019 में प्रस्तावित)

(2) छत्तीसगढ के राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2011–12 से 2017–18(अ)

(3) छत्तीसगढ राज्य के बजट का आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण वर्ष 2016–17 (लेखा), 2017–18 (पुनरीक्षित.), 2018–19 (बजट अनुमान).

(4) छत्तीसगढ का सामाजार्थिक संकेतांक वर्ष 2014–15

(5) छत्तीसगढ में रोजगार व बेरोजगार की स्थिति(एन.एस.एस 68 दौर रिपोर्ट)

(6) छत्तीसगढ राज्य का सांख्यिकी संक्षेप वर्ष 2015–16

(7) छत्तीसगढ़ चार्ट एवं ग्राफ में वर्ष 2015–16

(8) छत्तीसगढ़ का सांख्यिकी संक्षेप वर्ष 2016–17

(9) छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में वर्ष 2017

(10) एनुअल रिर्पोट द फंकशनिंग ऑफ द RBD एक्ट 1969 C.G. 2015

(11) एनुअल रिर्पोट द फंकशनिंग ऑफ द RBD एक्ट 1969 C.G. 2016

(ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत 16 वीं लोकसभा हेतु 31 दिसम्बर 2018 की स्थिति में कुल प्राप्त राशि 262.28 करोड़ रूपये, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु जारी किया गया है, जिसमें से राशि रूपये 261.08 करोड़ की लागत से 7117 कार्य स्वीकृत किये गये है, उसमें से 5749 कार्य पूर्ण हो चुके है। राज्यसभा हेतु 31 दिसम्बर 2018 की स्थिति में कुल प्राप्त राशि 217.92 करोड़ रूपये, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु जारी किया गया है, जिसमें से राशि 211.22 करोड़ लागत से 5464 कार्य स्वीकृत किये गये है, उसमें से 4784 कार्य पूर्ण हो चुके है।

(ग) इसी तरह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के मान से रूपये 1.00 करोड़ का प्रावधान है, जिसमें से प्रत्येक माननीय विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों के विकास हेतु राशि रूपये 75.00 लाख एवं माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा राशि रूपये 25.00 लाख के विकास एवं निर्माण कार्य हेतु अनुशंसा कर सकते है। वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु 31 दिसम्बर 2018 कुल राशि रू. 5303.48 करोड़ के विरूद्ध 2513 कार्य स्वीकृत किये गये है जिसमें से 410 कार्य पूर्ण हो चुके है।

(घ) राज्य मे होने वाले प्रत्येक जन्म–मृत्यु की घटनाओं के पंजीयन का वार्षिक जीवनांक सांख्यिकी प्रतिवेदन तैयार किया जाता है

(ङ.) राज्य मे होने वाले संस्थागत एवं गैर–संस्थागत मृत्यु के कारणो का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र की (MCCD) Medical certification of cause of death वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाती है।

प्रशिक्षण शाखा

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय का विभागीय वार्षिक प्रशिक्षण कैलेण्डर वर्ष 2018–19 तैयार किया गया। महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा के निर्देशानुसार आधारभूत प्रशिक्षण हेतु कुल 28 द्वितीय श्रेणी अधिकारियों एवं 89 तृतीय श्रेणी कार्यपालिक कर्मचारियों तथा परिचायात्मक प्रशिक्षण हेतु कुल 171 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची उपलब्ध करायी गई है। तृतीय लिंग वर्ग के प्रति संवेदनशीलता, जागरूकता और समन्वय हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 05 सितम्बर, 2018 को किया गया।

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय तथा अधीनस्थ जिला कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण निम्नानुसार दिया गया :–

स. क्र.	प्रशिक्षण का विषय	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
01	Computer training for Modern Office Management	12 दिवस	छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर	04
02	Cyber Security	03 दिवस		01
03	Ethics and value in Public Governance	03 दिवस		02
04	Sensitization of Government functionaries on issue relating to minorities	03 दिवस		04

भाग - दो

बजट विहंगावलोकन :-

संचालनालय को आलोच्य वर्ष 2018–19 में सांख्यिकी गतिविधियों के संचालन हेतु गैर योजनान्तर्गत निम्नानुसार आबंटन प्राप्त हुआ है – (राशि रू. हजार में)

बजट मद विवरण	वर्ष 2018–19 वास्तविक व्यय (दिसम्बर 2018)	वर्ष 2018–19 पुनरीक्षित प्रस्ताव
1	2	3
1430 – जन्म–मृत्यु आंकड़ों का संकलन	30888	42770
0512 – राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण	9683	19990
8048 – राज्य सांख्यिकी संस्थान	158686	260660
योग	**199257**	**323420**
2987 – बीस सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन	22990	31540
योग	**222247**	**354960**

भाग - तीन

संचालनालय द्वारा वर्तमान में निम्नवत राज्य/केन्द्र प्रवर्तित/केन्द्र क्षेत्रीय योजना संचालित की जा रही है : – (राशि रू. हजार में)

योजना विवरण	वर्ष 2018–19 वास्तविक व्यय (दिसम्बर 2018)	वर्ष 2018–19 पुनरीक्षित प्रस्ताव
1	2	3
राज्य – आयोजना		
6562 – जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का प्रभावी क्रियान्वयन	116	2710
6564 – संभागीय एवं जिला सांख्यिकी क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण	67	480
6293 – सांख्यिकी अमले का प्रशिक्षण कार्यक्रम	61	340
केन्द्र क्षेत्रीय योजना		
7604 – भवन सांख्यिकी सर्वेक्षण	1056	3000
योग	**1300**	**6530**

भाग - चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

निरंक

भाग - पांच

अभिनव योजनाएँ

निरंक

भाग - छः

प्रकाशन

आलोच्य अवधि में प्रकाशित प्रकाशनों का परिचयात्मक विवरण निम्नानुसार है :–

1. आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2018–19 :–

विभागीय जानकारी के आधार पर **"छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19"** तैयार किया जा रहा हैं, जो कि विधानसभा के बजट सत्र में प्रस्तुत किया जावेगा। इस प्रकाशन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, ग्रामीण विकास, विशेष क्षेत्र विकास, जल संसाधन, परिवहन संसाधन, पर्यावरण, प्रौद्यौगिकी विकास के साथ ही सामाजिक विषयों से संबद्ध क्षेत्रों में अभिज्ञापित उपलब्धियों का उल्लेख राज्य के संदर्भ में किया गया है ।

2. छत्तीसगढ़ के राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2011–2012 से 2017–2018 (अ) :– इस प्रकाशन में राज्य के घरेलू उत्पाद के अनुमान– सकल/निवल (प्रचलित एवं स्थिर भावों पर) संचालनालय द्वारा तैयार कर प्रकाशित किये गये, जिसमें प्रति व्यक्ति आय (सकल/निवल–प्रचलित एवं स्थिर भावों पर) का भी आकलन प्रस्तुत किया गया है।

3. छत्तीसगढ राज्य के बजट का आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण–वर्ष 2016–17 (लेखा), 2017–18 (पुनरीक्षित.) एवं 2018–19 (बजट अनुमान) :–

प्रस्तुत प्रकाशन में आर्थिक एवं उद्देश्य के अनुसार वित्तीय प्रावधान एवं उसके सापेक्ष परिव्यय का उल्लेख किया जाता है ।

4. छत्तीसगढ़ का सांख्यिकी संक्षेप वर्ष 2015–16 :–

इस प्रकाशन में छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित सामाजार्थिक विकास के संकेतांक संबंधी महत्वपूर्ण आंकड़ो को राज्य स्तर पर जिलेवार तालिकाओं में प्रकाशित किया जाता है।

5. छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में वर्ष 2016 :–

इस प्रकाशन में प्रशासनिक, कृषि ग्रामीण एवं विकास, जल, परिवहन एवं सामाजिक विषयों से संबंधित प्रमुख संकेतांको के आधार पर आंकड़े प्रस्तुत किये गये है, जिसमें राज्य के विकास की अवधारणा का प्रबोधन किया गया है।

6. छत्तीसगढ़ चार्ट एवं ग्राफ वर्ष 2015–16 :–

इस प्रकाशन में छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित सामाजार्थिक विकास के संकेतांक संबंधी महत्वपूर्ण आंकड़ो का राज्य व जिले स्तर पर तालिकाओं तथा ग्राफ व चार्ट के माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

7. 1969 अधिनियम के कार्यकरण पर वार्षिक रिपोर्ट 2015 व 2016 :–

इस प्रकाशन में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1969 के कार्यकरण पर वर्ष 2015 व वर्ष 2016 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

परिशिष्ट—एक

मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के स्वीकृत एवं भरे पदों की जानकारी (01—01—2019 की स्थिति में)							
क्र.	पदनाम	कुल स्वीकृत पद			भरे हुए पद		
		मुख्यालय	जिला	योग	मुख्यालय	जिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
	प्रथम श्रेणी						
1	आयुक्त सह संचालक	1	0	1	1	0	1
2	अपर संचालक	1	0	1	1	0	1
3	संयुक्त संचालक	3	0	3	2	0	2
4	उप संचालक	3	27	30	2	16	18
	द्वितीय श्रेणी						
5	सहायक संचालक योजना/सांख्यिकी	13	54	67	6	24	30
	तृतीय श्रेणी						
6	सहा.प्रोग्रामर	1	0	1	0	0	0
7	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	36	122	158	28	87	115
8	खण्ड स्तर अन्वेषक	14	165	179	9	62	71
9	संगणक /डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	6	54	60	6	30	36
10	अधीक्षक	1	0	1	0	1	1
11	आशुलिपिक ग्रेड—2	1	0	1	0	0	0
12	आशुलिपिक ग्रेड—3	1	0	1	1	0	1
13	स्टेनोटायपिस्ट	4	18	22	0	0	0
14	कनिष्ठ लेखाधिकारी	1	0	1	0	0	0
15	के.पी.ओ.	2	0	2	0	0	0
16	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	1	0	1	0	0	0
17	सहायक ग्रेड—1	4	7	11	2	6	8
18	सहायक ग्रेड—2	5	27	32	3	17	20
19	सहायक ग्रेड—3	20	61	81	2	12	14
20	वाहन चालक(नियमित)	5	7	12	1	5	6
20A	वाहन चालक (सीधी भर्ती से स्वीकृत पदों की पूर्ति कले.दर से)	—	—	—	3	—	3
21	वाहन चालक (आकस्मिकता निधि अंतर्गत कले.दर पर भर्ती)	3	20	23	3	10	13
	चतुर्थ श्रेणी						
22	जमादार	1	0	1	1	0	1
23	भृत्य (नियमित)	15	61	76	4	25	29
23A	भृत्य (कलेक्टर दर के माध्यम से भरे पद)	—	—	—	7	3	10
24	चौकीदार	2	0	2	2	0	2
25	स्वीपर/फर्राश/वाटरमैन (कले. दर)	5	36	41	4	31	35
	कुल योग	**149**	**659**	**808**	**88**	**329**	**417**

परिशिष्ट—दो

संचालनालय के संभाग एवं निष्पादित कार्यविवरण

1- I. जिला सांख्यिकी तंत्र	1. जिलों का तकनीकी मार्गदर्शन एवं निरीक्षण 2. जिले की प्रकाशनों की समीक्षा एवं दिशा—निर्देश 3. तकनीकी कार्यों की अर्धवार्षिक/वार्षिक समीक्षा
II. सांख्यिकी समन्वय एवं प्रशिक्षण	1. राज्य के समस्त विभागों की सांख्यिकी गतिविधियों की समीक्षा, मार्गदर्शन 2. विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण
2- I. सामाजिक एवं आर्थिक विश्लेषण .	1. प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन गणना 2. आर्थिक सर्वेक्षण 3. छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में 4. छत्तीसगढ़ का सांख्यिकी संक्षेप
II. प्रकाशन/ पुस्तकालय	1. राज्य स्तरीय प्रकाशनों का प्रकाशन 2. पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का क्रय, एवं विभागीय प्रकाशनों का वितरण एवं संधारण
3- I. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण	1. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्य का सर्वेक्षण, सारणीयन एवं प्रतिवेदन
II. अन्य सर्वेक्षण एवं गणनाएं	1. छटवीं आर्थिक गणना 2. स्थानीय स्तर विकास से संबंधित मूलभूत सांख्यिकी 3. रोजगार—बेरोजगार सर्वेक्षण 4. अलाभकारी संस्थाओं का सर्वेक्षण एवं प्रतिवेदन
4- I. राज्यीय आय	1. राज्य/जिला स्तरीय घरेलू उत्पाद के अनुमान 2. राज्य/जिला स्तरीय घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करने हेतु प्रक्रियागत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना
II. पूंजी निर्माण	1. छ.ग.राज्य के सकल स्थायी पूंजी निर्माण के अनुमान तैयार करना
III. लोक वित्त एवं बजट विश्लेषण	1. लोक वित्त तथा स्थानीय संस्थाओं की सांख्यिकी का संकलन एवं संधारण 2.राज्य एवं स्थानीय संस्थाओं के आय व्ययक का आर्थिक उद्देश्यवार वर्गीकरण कर आय—व्यय संक्षेप में तैयार करना
IV. बाजार समाचार	1. थोक/फूटकर मूल्यों का संकलन/समीक्षा 2. कृषि उपज मंडियों का निरीक्षण 3. छत्तीसगढ़ में कृषि विपणन

5- I. औद्योगिक, खनिज, ऊर्जा एवं उत्पादन के सूचकांक सांख्यिकी	1. औद्योगिक, खनिज, एवं ऊर्जा सांख्यिकी 2. सार्वजनिक क्षेत्रों का लेखा विश्लेषण 3. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, समाज कल्याण, औद्योगिक सामाजिक सुरक्षा सांख्यिकी
II. भवन एवं गृह निर्माण सांख्यिकी	1 गृह एवं भवन निर्माण सांख्यिकी 2. इमारती सामान के थोक भावों की जानकारी 3 आपदा प्रबंधन सांख्यिकी संकलन
6. जीवनांक सांख्यिकी	1. जन्म–मृत्यु पंजीयन प्रणाली का संचालन, पर्यवेक्षण निरीक्षण एवं समीक्षा 2. वार्षिक जीवनांक प्रतिवेदन 3. जन्म– मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के कार्यकरण पर वार्षिक प्रतिवेदन
7. बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना	1. संबंधित विभागों से प्रगति का मासिक संकलन, संधारण एवं संप्रेषण 2. केन्द्र द्वारा की गई समीक्षा की अनुवर्तन कार्यवाही
8. I. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	1. मासिक/त्रैमासिक समीक्षा 2. बैठक आयोजित करना एवं निर्देश प्रसारित करना
II. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	1. मासिक/त्रैमासिक समीक्षा करना 2. जिला स्तर पर आ रही कठिनाइयों का निराकरण कर दिशानिर्देश /मार्गदर्शन देना 3. योजनांतर्गत अंकेक्षण, मॉनिटरिंग करना
9. I. प्रशासन	1. प्रशासन, स्थापना, लेखा एवं लेखा परीक्षण तथा बजट प्रस्ताव तैयार करना ।
II.सूचना का अधिकार	1. प्रभावी अधिनियमों के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समयावधि में निराकरण एवं प्रतिवेदन ।

राज्य योजना आयोग

राज्यों के योजना संगठनों, (राज्य योजना मंडल/राज्य योजना आयोग) की राज्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय स्तर पर योजना आयोग के नीति (National Institute for Transforming India-NITI) आयोग के रूप में परिवर्तित होने के पश्चात राज्यों के योजना मंडल/अयोगों की भूमिका में भी परिवर्तन आया हैं। अब राज्यों के योजना संगठन योजना निर्माण के स्थान पर अथवा योजना निर्माण के साथ राज्यों के लिये 'थिंक टैंक' (Think Tank) सलाहकार, ज्ञान एवं सुझावों के संयोजक के रूप कार्य कर रहें हैं। राज्यों के योजना संगठनो के कार्यों की प्रकृति में परिवर्तन आया है तथा भूमिका में वृद्धि हुई है। वर्तमान स्वरूप में राज्यों के योजना संगठन, विभाग के साथ मिलकर राज्य के विकास में अधिक योगदान दे सकते हैं।

छत्तीसगढ़ शासन, तत्कालीन वित्त, वाणिज्य कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के द्वारा दिनांक 10 जनवरी, 2001 को राज्य योजना मंडल का गठन किया गया। पाँच विभागों वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी; वन; पंचायत एवं ग्रामीण विकास; कृषि जनजाति विकास एवं जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव, मंडल के सदस्य बनाये गये। गठन आदेश में मंडल के दायित्वों का भी निर्धारण किया गया। इसमें प्रमुख हैंः– (1) राज्य के संसाधनों का मूल्यांकन तथा संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिये योजना बनाना तथा प्राथमिकताएँ निर्धारित करना (2) जिला योजना निर्माण में सहायता, (3) आर्थिक एवं सामाजिक बाधाओं का पता लगाने तथा क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने हेतु सुझाव, (4) योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के प्रगति की समीक्षा करना तथा नीतियों एवं उपायों में जरूरी समायोजनों की सिफारिश करना, (5) सतत विकास लक्ष्य प्राप्ति हेतु रोडमैप तैयार कर प्रगति का पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन करना। 12 अगस्त, 2010 को राज्य योजना मंडल का नाम परिवर्तित कर 'राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़' किया गया।

उपर्युक्त दायित्वों के परिप्रेक्ष्य में राज्य योजना आयोग द्वारा निम्नानुसार कार्यो का संपादन किया गया।

विभागों के लिये नीति निर्माण का कार्य

Policy formation for the Departments

छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग के अनुरोध पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य दिव्यांगजन नीति का प्रारूप तैयार कर दिनांक 8 मार्च, 2018 को विभाग को सौंपा गया।

संवाद / कार्यशाला / सम्मेलन एवं बैठकों का आयोजन

- दिव्यांगजन नीति तैयार करने एवं नीति को अधिक व्यावहारिक बनाने हेतु दिव्यांगता की शीघ्र पहचान, रोकथाम एवं स्वास्थ्य देखभाल आदि स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर 26 सितम्बर 2017 को, शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार सृजन पर दिनांक 13–14 नवम्बर 2017 को तथा दिव्यांगजनों के लिये वर्तमान बीमा योजनाएँ तथा दिव्यांगजनों हेतु बीमा की आवश्यकता संबंधी विषयों पर दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 को संवाद का आयोजन किया गया।

विभिन्न विषयों पर अध्ययन प्रायोजित करना

Sponsoring Studies on Different Subjects

राज्य योजना आयोग द्वारा विभिन्न विषयों पर नीति निर्माण हेतु, वस्तु–स्थिति के आंकलन, प्रदेश में संचालित योजनाओं के मूल्यांकन, नवप्रवर्तनों इत्यादि के लिये क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञों तथा स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से अध्ययन करवाये जाते हैं। राज्य योजना आयोग द्वारा अभी तक निम्नांकित अध्ययन प्रायोजित किये गये हैं:–

i. पोषण सुरक्षा में पोषक अनाजों (Millets) की भूमिका

(Role of Millets in Mutritinal Security)

राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ द्वारा पोषण सुरक्षा में पोषक / मोटे अनाजों (Millets) की भूमिका पर दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विभिन्न राज्यों एवं संस्थानों के शासकीय अधिकारियों एवं विषय विशेषज्ञों, पोषक अनाजों का उत्पादन करने वाले कृषकों तथा इस क्षेत्र में कार्यरत नागरिक सामाजिक संस्थाओं (Civil Society Organization-CSO) आदि ने भाग लिया। बैठक में सभी संबद्ध पक्षों द्वारा पोषक / मोटे अनाजों के घटते क्षेत्र पर चिंता व्यक्त करते हुये इन अनाजों के क्षेत्र विस्तार, प्रसंस्करण तथा विपणन एवं अन्य राज्यों द्वारा इस दिशा में की गई पहल पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यशाला में निम्नानुसार सुझाव दिये गयेः–

1. मिलिट्स आधारित मिश्रित फसल प्रणाली को बढ़ावा दिया जाए और प्रोत्साहित किया जाये। पोषक / मोटे अनाजों की खेती के प्रोत्साहन के लिये गांवों के ऊंचे क्षेत्रों (Uplands) में ग्राम पंचायतों के प्रस्तावों के माध्यम से पहल किये जाने पर विचार किया जा सकता है। इन आनाजों के क्षेत्र परीक्षण (Field Trial) हेतु एक पॉयलेट परियोजना भी शुरू की जा सकती है।
2. प्रदेश में ग्रीष्मकालीन धान (Summer Paddy) के जगह पोषक / मोटे अनाजों का उत्पादन किया जाना अधिक उचित होगा।

3. पोषक/मोटे अनाजों के गैर पारंपरिक जिलों व क्षेत्रों में भी इनके उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। स्व–सहायता समूहों को जोड़ते हुये इस हेतु किसी एक पोषक/मोटे अनाज की गैर पारंपरिक जिलों में एक–एक पॉयलेट परियोजना भी शुरू की जा सकती है।

4. छत्तीसगढ़ के 10 जिलों की पहचान 2018–19 और 2019–20 के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) के पोषक अनाजों के उप मिशन के अंतर्गत की गई है। इन 10 जिलों यथा बलरामपुर, सरगुजा, कोरिया, राजनांदगांव, कबीरधाम, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा में छः आकांक्षी (Aspirational) जिले भी सम्मिलित हैं। अतः आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम में पोषक/मोटे अनाजों के उत्पादन को पोषण सुरक्षा रणनीति के रूप में शामिल किया जा सकता है।

5. पोषक/मोटे अनाजों के पारंपरिक बीजों के भंडारण और उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

6. पोषक/मोटे अनाजों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु इन अनाजों के गहनता की पद्धति (System of Millets Intensification-SMI) को प्रोत्साहित किया जाए।

7. वर्तमान में छत्तीसगढ़ के उत्पादित अधिकांश पोषक/मोटे अनाजों का प्रसंस्करण राज्य के बाहर मुख्य रूप के नासिक, महाराष्ट्र में होता है। पोषक/मोटे अनाजों के ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, सफाई, प्रसंस्करण और पैकेजिंग जैसी प्रौद्योगिकीय एवं मूल्यवर्धन गतिविधियों को प्रदेश में ही स्थापित एवं प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इससे इन फसलों के उत्पादन में लगे किसानों को परिवहन पर होने वाले व्यय की बचत होगी।

8. धान के लिये गांवों में मिलिंग क्षमता है लेकिन पोषक/मोटे अनाजों के लिए नहीं हैं। इसलिये, ग्राम पंचायत स्तर पर प्राथमिक और सेकेंडरी मिलिट्स प्रसंस्करण इकाईयां (Primary and Secondary Millets Processing Units) स्थापित की जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पोषक/मोटे अनाज के लिये अलग–अलग प्रसंस्करण इकाई के स्थान पर इन अनाजों के लिये समुदाय स्तर पर प्रसंस्करण इकाईयाँ होनी चाहिये और समुदाय का पोषक/मोटे अनाज उत्पादन से संबंधित सभी कार्यों पर नियंत्रण होना चाहिये।

9. पोषक/मोटे अनाजों के क्षेत्र विस्तार तथा उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु उड़ीसा राज्य की भांति **'राज्य मिलेट्स मिशन'** (State Millets Mission) आरंभ किये जाने पर विचार किया जाना चाहिये।

10. पोषक/मोटे अनाजों के उत्पादों का विपणन राज्य आजीविका मिशन द्वारा विपणन किया जा सकता है।

11. पोषण सुरक्षा हेतु एकीकृत बाल विकास योजना (Integared Child Development Scheme-ICDS), माध्यान्ह भोजन (Mid Day Meal-MDM) एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Publice Distribution System-PDS) में पोषक/मोटे अनाज शामिल किये जा सकते हैं। पोषक/मोटे अनाजों के स्वास्थ्य लाभ बच्चों के बजाए वयस्कों में अधिक स्पष्ट नजर आते हैं। अतः ICDS और MDM में परीक्षण एवं जाँच (Trials and Checks) के बाद ही पोषक/मोटे अनाज शामिल किये जायें।

12. पोषक/मोटे अनाजों के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु छोटे कृषकों व अनुसंधान एवं विकास संस्थानों तथा गैर सरकारी संगठनों के बीच संबंधो व आपसी समझ को बढ़ाने की आवश्यकता है।

ii. सामुदायिक आधार पर प्रशिक्षण के लिये एक वैश्विक संघ (K4C)

A Global Consortium for Training in Community Based research (K4C)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के महिला अध्ययन केंद्र के अंतर्गत स्थापित K4C के माध्यम से राज्य में समुदाय आधारित शोध एवं सामुदायिक निवारण की क्षमता विकसित होने की आशा है। सामुदायिक भागीदारी एवं इस हेतु समुदायों का सशक्तिकरण न केवल सतत् विकास लक्ष्यों में निहित है वरन हमारी संवैधानिक व्यवस्था भी इस दिशा में प्रयासरत रही है। स्वच्छता, जलप्रबंधन, वन तथा पर्यावरण का संरक्षण जैसे अनेक विषय है जिनके लिए समुदायों की क्षमता विकसित किया जाना आवश्यक है।

नालेज फार चेंज K4C इस दिशा में यूनेस्को द्वारा की गयी एक पहल है जिसके माध्यम से समुदाय आधारित शोधकर्ताओं की क्षमतावर्धन करते हुए उन्हे सामाजिक परिवर्तन के माध्यम के रूप में प्रोत्साहित किया जाना है।

नीतिगत उपादेयता

1. सतत् विकास लक्ष्यों के परिपेक्ष्य में सामुदायिक क्षमताओं का संवर्धन अति महत्वपूर्ण है। सामुदायिक स्तर पर समस्याओं के विश्लेषण एवं निवारण हेतु यह पहल उपयोगी होगी।
2. उच्च शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध बौद्धिक क्षमताओं का सार्वजनिक हित में उपयोग की दिशा में K4C द्वारा समुदाय आधारित शोध तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं की सामाजिक जिम्मेदारी पर केंद्रित यह पहल सतत् विकास लक्ष्यों हेतु प्रयास में सहायक होगी
3. समुदाय आधारित शोध हेतु एक वैश्विक पटल उपलब्ध कराते हुए विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित समुदाय की परस्पर सहायता पर केंद्रित यह पहल समस्याओं के श्रेष्ठतम हल ढूंढने में सहायक होगी।

iii. ग्राम सुपेबेड़ा, देवभोग, गरियाबंद के भू–जल गुणवत्ता का मूल्यांकन और इसका मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव

Evaluation of Ground Water quailty and impact on human health in supebeda village. Deobhog, Gariaband

अनसुलझी समस्याओं के निवारण में शासन की ओर से पहल करते हुए राज्य योजना आयोग द्वारा यह अध्ययन प्रायोजित किया गया है। प्रदेश के गरियाबंद जिले में देवभोग विकास खण्ड के अंतर्गत ग्राम सुपेबेड़ा से संबंधित ऐसे समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि उक्त ग्राम में किडनी की समस्या से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या सामान्य से अधिक है। इस विषय में उपलब्ध अध्ययनों से इन समस्याओं के संभावित कारणों की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

उक्त ग्राम में पीने के पानी को किडनी की समस्या का कारण बताने वाले दावों के परीक्षण एवं इस हेतु संभावित जल स्रोतों की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से उक्त क्षेत्र के जल का वैज्ञानिक परीक्षण इस अध्ययन में कराया जा रहा है। इस अध्ययन के अंतिम परिणाम अभी अप्राप्त हैं।

नीतिगत उपादेयता

1. पीने के पानी से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के निवारण के लिए एक मानक कार्यप्रणाली विकसित की जा सकेगी जिनके माध्यम से भविष्य में होने वाली इस प्रकार की समस्याओं के त्वरित एवं व्यवस्थित अध्ययन कर उनके निवारण की कार्यवाही की जा सकेगी।
2. इस अध्ययन में यह पाया गया कि इस क्षेत्र के पेयजल में भारी धातुओं की मात्रा स्वीकार्य सीमा से अधिक है. अध्ययन के प्रथम चरण के समय वर्षा ऋतु होने के कारण भारी धातुओं की मात्रा का सही निर्धारण एवं इसके परिणामों पर और अधिक अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत हुई।
1. इस अध्ययन के अगले चरण में किडनी की समस्याओं में पेयजल की संभावित भूमिका पर ध्यान केन्द्रित करते हुए इस हेतु जल का पुनः परीक्षण एवं इसके परिणामों का विश्लेषण किया जाएगा।

iv. ग्रामीण छत्तीसगढ़ में व्यव्हार्य एवं संभावित आजीविका के अवसरों की पहचान

Identification of Viable and Potential Livelihood Opportunities in Rural Chhattisgarh

एक समावेशी सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में आजीविका के अवसरों उनके अंतर्संबंधों तथा संवर्धन की संभावनओं का अध्ययन अति महत्वपूर्ण है। प्रदेश के उत्तरी भाग के पहाड़ी वनांचलों में आजीविका के अवसरों का अध्ययन करने एवं उन्हे अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सरगुजा जिले में यह अध्ययन किया गया।

इस अध्ययन के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य वाले दस ग्रामों में निवासरत कुल 303 परिवारों तथा 51 छोटे व्यापारियों का अध्ययन कर प्राप्त जानकारी का विश्लेषण किया गया।**नीतिगत उपादेयता**

1. कृषि हेतु आवश्यक बीज, खाद, कीटनाशक तथा अन्य सामग्री के विक्रय हेतु स्थापित सहकारी संस्थाओं के पास इन सामग्रियों की पर्याप्त एवं समयानुकूल उपलब्धता नहीं होती है जिसके कारण कृषकों को सामग्रियां बाजार से महंगे दामों पर क्रय करनी पड़ती है।
2. इस परिप्रेक्ष्य में इन सहकारी संस्थाओं के तंत्र की प्रदाय व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है।
3. फसल बीमा के प्रीमियम की दर कृषकों के मतानुसार अधिक है। इसका प्रभाव यह होता है कि बहुत से कृषक फसल बीमा महंगा होना मानकर नहीं कराते। फसल बीमा नहीं होने पर उन्हे बैंकों से क्रॉप लोन की पात्रता नहीं मिल पाती और वे एक दुष्चक्र में उलझे रह जाते हैं।
4. फसल बीमा के प्रीमियम का परीक्षण एवं आवश्यकतानुसार पुनरीक्षण किया जाना इस दिशा में उपयोगी होगा।

5. वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पट्टाधारकों की स्थिति में अनिश्चितताओं की ओर इस अध्ययन में ध्यान आकर्षित किया गया है। उक्त पट्टाधारकों से संबंधित अभिलेखों की धारण प्रक्रिया में निम्नांकित बिंदुओं पर सुधार किया जा सकता है।

   i. गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में इन पट्टाधारकों का गन्ना प्रदायक के रूप में पंजीकरण नहीं होता है जिससे वे मध्यस्थों को गन्ना बेचने पर विवश होते हैं अतः इनके पंजीकरण की व्यवस्था होना उपयोगी होगा।

   ii. इन पट्टाधारकों के भूमि अधिकारों के पुष्टि अभिलेख सुलभ नहीं होने के कारण इन्हे बैंकों से ऋण प्राप्त नहीं होते हैं इस दृष्टिकोण से इन्हे बैंक ऋण की पात्रता विषयक व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।

v. गरीबी उन्मूलन, जन संगठन एवं आजीविका संवर्धन

Poverty Removal, People's Collectives, and Livelihood Enhancement

गरीबी दूर करने के प्रयासों के अंतर्गत गरीब व्यक्तियों को संगठित कर सामूहिक आर्थिक गतिविधियों को महत्वपूर्ण माना जाता है। स्व–सहायता समूह, उत्पादक संगठन, सहकारी संस्थाएं, सामूहिक कृषि आदि अनेक स्वरूपों में सामूहिक प्रयास सामाजिक पूंजी का सृजन करते हुए आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते रहे हैं जो व्यक्तिगत प्रयासों से संभव नहीं हो पाती।

प्रदेश में चल रहे इन सामूहिक प्रयासों का उनके विभिन्न स्वरूपों, एवं गरीबी दूर करने की दिशा में उनकी अधिकारिक महत्ता को रेखांकित करने के उद्देश्य से यह अध्ययन किया जा रहा है।

नीतिगत उपादेयता

इस अध्ययन के माध्यम से सामूहिक गतिविधियों के विभिन्न स्वरूपों के आजीविका विषयक योगदान को रेखांकित किया जाना है। इस रेखांकन के माध्यम से इन समूहों के विभिन्न स्वरूपों को दिये जाने वाले प्रोत्साहन एवं अन्य प्रकार की सहायता के विषय में नीति निर्धारण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

vi. ग्रामीण शहरी रूपांतरण की नीतिगत उपादेयता : नया रायपुर का एक अध्ययन

Policy Implications of Rural Urban Transformation: A case study of Naya Raipur

छत्तीसगढ़ राज्य के गठन उपरांत राजधानी की स्थापना के लिये रायपुर के समीप एक स्थान की पहचान कर उसे नया रायपुर (कालांतर में अटल नगर) नाम दिया गया। राजधानी निर्माण एवं संबंधित भू–अर्जन में कुल 41 ग्राम पूर्णतः या अंशतः प्रभावित हुए।

इनमें से अधिकांश ग्रामों में केवल कृषि भूमि अधिग्रहित की गयी तथा ग्राम निवासियों को विस्थापित नहीं किया गया। तथापि अल्प अवधि में ही ये क्षेत्र ग्रामीण परिवेश से शहरी परिवेश में परिवर्तित हो गए।

शहरीकरण के इस अपेक्षाकृत तीव्र तथा मौलिक अनुभव ने इन क्षेत्रों के निवासियों की जीवनशैली, आजीविका तथा जीवन के अन्य पहलुओं को किस प्रकार प्रभावित किया इस विषय में राज्य योजना आयोग द्वारा एक अध्ययन करवाया गया ।

नीतिगत अनुशंसाएँः

1. राजधानी हेतु भू–अर्जन का सर्वाधिक दुष्परिणाम भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवारों पर हुआ। इन परिवारों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति के अंतर्गत निम्नांकित बिंदुओं को शामिल किया जाना चाहिए–

   अ. रोजगार हेतु कौशल प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन

   ब. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का दर्जा एवं तद्नुसार लाभ हेतु पात्रता

2. भूमि विक्रय से प्राप्त राशि का एक निश्चित भाग उन परिवारों के लिये सुरक्षित रखा जाना चाहिए जिनकी भूमि इस कार्य हेतु अर्जित की गयी है।

3. राज्य की पुनर्वास नीति के अंतर्गत प्रभावित वर्ग की विभिन्न श्रेणी के परिवारों को आवासीय भूमि अथवा वाणिज्यिक दुकान दिये जाने के प्रावधान हैं। इन प्रावधानों के क्रियान्वयन की स्थिति की तत्काल समीक्षा किया जाना आवश्यक है। इस हेतु संबंधित शासकीय विभागों, प्रभावित समुदायों तथा विषय विशेषज्ञों से परामर्श करते हुए स्पष्ट समय सीमा के भीतर प्रावधानों का परिपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

4. शिकायत निवारण समिति को पुनर्जीवित करना तथा इसकी बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित किया जाना आवश्यक है। इस समिति के समक्ष रखे जाने मुद्दों वालें पर समिति के दायित्व एवं प्राधिकार स्पष्ट होना आवश्यक है।

5. ग्राम पंचायतों के भौगोलिक क्षेत्र की सीमा में संचालित योजनाओं के प्रबंधन तथा अभिशासन के मसलों पर इनकी शक्तियां एवं प्राधिकारों को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

6. ग्राम विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में धन की कमी के परिपेक्ष्य में ग्राम पंचायतों के क्षेत्राधिकार में संचालित योजनाओं जैसे मनरेगा, पी एम जी ए वाय, वित्त आयोग की अनुशंसा के अधीन योजनाएं आदि के संसाधनों को इस प्रकार नियोजित किया जाना चाहिए ताकि ग्राम विकास योजना के अनुरूप विकास का आंशिक भार इन योजनाओं द्वारा वहन किया जा सके।

7. प्रभावित क्षेत्र में पुनर्वास एवं रोजगार सृजन सम्बन्धी योजना बनाने उनके क्रियान्वयन तथा पारस्परिक समन्वय के लिए एक पृथक समिति बनाई जानी चाहिए।

8. वर्तमान अपीलीय संस्थाओ के विषय में समुचित जानकारी देने के लिए एक प्रभावी व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए ताकि इनसे सम्बंधित जानकारी के आभाव में गरीब व्यक्तियों एवं राज्य शासन के समय तथा धन के अपव्यय को कम किया जा सके।

9. भूमि अधिकारों का विधिवत अंतरण होने के उपरान्त ही शासकीय अधिकारीयों द्वारा भूमि का कब्ज़ा लिया जाना चाहिए।

vii. वंचित वृद्ध व्यक्तियों के लिए खाद्य सुरक्षा

Food Security for deprived elderly people

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने के विषय में छत्तीसगढ़ देश का एक अग्रणी राज्य है. इस क्षेत्र में न केवल प्रभावी वैधानिक प्रावधान किये गए हैं, वरन उनके क्रियान्वयन को उच्च प्राथमिकता देते हुए सफल बनाया गया है. सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के पश्चात् भी व्यापक एवं दुर्गम भूगोल के परिपेक्ष्य में प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में खाद्य एवं पोषण की स्थिति पर राज्य योजना आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्था– 'हेल्पेज इंडिया' के माध्यम से एक अध्ययन प्रायोजित किया गया।

हेल्पेज इंडिया के द्वारा 'वंचित वृद्ध व्यक्तियों के लिए खाद्य सुरक्षा' विषय पर जानकारी संकलित करने हेतु एक अध्ययन बस्तर जिले के जगदलपुर एवं दरभा विकासखंड में दस ग्रामो को व सरगुजा जिले के लखनपुर व मैनपाट विकासखंड के 9 ग्रामों में फोकस ग्रुप डिस्कशन कर परिस्थितियों को जानने व समझने का प्रयास किया गया।

नीतिगत अनुशंसायें:

1. वृद्धा पेंशन की राशि में वृद्धि, एवं समय पर भुगतान
2. पीडीएस के तहत मिलने वाले चावल की मात्रा बढ़ाई जाए
3. पीडीएस के भंडारण हेतु ग्राम स्तर पर व्यवस्था की जाए
4. शासन द्वारा दी जाने वाले पीले कार्ड और 10 बिस्तर वाली योजना का लाभ वृद्धजनों को दिलाया जाए
5. वृद्धजनो के लिए चलाई जा रही योजनाओं के सही क्रियान्वयन व देखरेख के लिए निगरानी सेल का गठन किया जाए
6. वृद्धा आश्रमों व् अन्त्योदय योजना में दिए जाने वाले खाद्य पदार्थों में पौष्टिकता को बढाया जाए
7. भुगतान के लिए मोबाइल बैंक का इस्तेमाल किया जाए
8. निश्चित तिथि पर घर पर भुगतान हो
9. SLRM में वृद्ध स्व सहायता समूहों को भी स्थान दिया जाए तथा आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जाए।

नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया

National Foundation for India

सतत् विकास लक्ष्य (SDG) के क्षेत्र में कार्य करने हेतु राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ के साथ संयुक्त परियोजना के भागीदार ''नेशनल फाउण्डेशन ऑफ इंडिया'' ((NIF) के नेतृत्व में यू. एन., नीति आयोग, हिमाचल प्रदेश, आंध्रप्रदेश एवं किला (Kerala Institute of Local Administration-KILA) के साथ मिलकर संयुक्त तत्वाधान में ''राज्यों की कार्यवाही हेतु सतत विकास लक्ष्य की भविष्य की योजना'' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कॉनक्लेव का आयोजन, दिनांक 19–20 दिसम्बर, 2017 को नई दिल्ली में किया गया। कॉनक्लेव में राज्यों में सतत विकास लक्ष्यों की रूपरेखा, क्रियान्वयन, चुनौतियों एवं संभावनाओं जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में अन्यों के अलावा मान. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, भारत सरकार तथा नीति आयोग, एन.एफ.आई, यू.एन. किला एवं सहभागी राज्यों, छत्तीसगढ़, आन्ध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधियों द्वारा कार्यक्रम में भाग लेकर अपने विचार रखे गये।

जिला योजना का सुदृढ़ीकरण

Strengthening of District Planning

भारत के संविधान के 73 वें एवं 74 वें संशोधन द्वारा स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है। जिसमें विकेन्द्रीकृत नियोजन अपनाने का विस्तृत आधार प्रदाय किया गया है। राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ के द्वारा सभी जिलों में ''जिला योजना'' तैयार करवायी जाती है। प्रदेश के सभी जिलों से प्राप्त जिला योजना को संकलित कर राज्य योजना तैयार कर वित्त विभाग से साझा की जाती है।

जिला योजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम/उपलब्धियाँ

- वर्ष 2019–20 के लिए जिला योजना समितियों के सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला योजना समिति (डीपीसी) के सदस्यों का क्षमतावर्धन करने हेतु दिनांक 22/06/2018 से 04/07/2018 तक (दिनांक 22, 25, 27 एवं 29 जून तथा 02 एवं 04 जुलाई, 2018) अलग–अलग तिथि में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन ठॉ. प्यारेलाल, राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा में किया गया।

- सभी जिलों द्वारा जिले के स्थिति विश्लेषण के साथ, सात क्षेत्रकों, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका, अधोसंरचना, ऊर्जा प्रबंधन, नागरिक अधिकार संरक्षण एवं सशक्तिकरण के बिन्दुओं पर प्रारूप तैयार किया जा रहा है।

- वर्ष 2019–20 के लिए जनवरी, 2019 तक 06 जिले कोरिया, जगदलपुर, कोण्डागांव, जशपुर, दुर्ग एवं गरियाबंद की जिला वार्षिक योजना प्राप्त हुआ है।

भाग - दो

राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ का बजटीय प्रस्ताव 2018–19

(राशि लाख रूपयों में)

क्र.	योजना शीर्ष एवं क्रमांक	स्वीकृत बजट वर्ष 2018–19	पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2018–19	वर्ष 2018–19 का माह दिसम्बर 2018 तक वास्तविक व्यय	बजट अनुमान 2019–20
1	2	3	4	5	6
1.	**मांग संख्या–31, मुख्य लेखा शीर्ष –3451**				
	3686– राज्य योजना आयोग (आयोजनेत्तर)	488.50 0.20	498.50 0.20	212.35 -	543.50 0.20
	योग	**488.70**	**498.70**	**212.35**	**543.70**
	7639– राज्य योजना का सुदृढ़ीकरण, मूल्यांकन एवं अनुसंधान	142.00	142.00	32.91	142.00
	योग	**142.00**	**142.00**	**32.91**	**142.00**
2.	**मांग संख्या–60 मुख्य लेखा शीर्ष – 3451**				
	7282– जिला योजना का सुदृढ़ीकरण (आयोजना)	75.00	75.00	13.88	80.00
	योग	**75.00**	**75.00**	**13.88**	**80.00**

भाग - तीन

राज्य योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना

निरंक

भाग - चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

निरंक

भाग - पांच

अभिनव योजना

निरंक

भाग - छः

प्रकाशन

निरंक

भाग - छः

सारांश :–

राज्य योजना आयोग की बदली हुई भूमिका के अनुसार राज्य के विकास हेतु नीति निर्धारण हेतु आवश्यक शोध तथा योजनाओं के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय और राज्य की शैक्षणिक एवं शोध संस्थान से सहयोग लिया जा रहा है। शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थाओं के साथ भागीदारी कर पॉयलेट अध्ययन के द्वारा नवप्रवर्तनों को मूर्त रूप दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन एवं नेशनल फांउडेशन फॉर इंडिया, नई दिल्ली के संयुक्त साझेदारी से सतत् विकास लक्ष्य (SDG) के स्थानीयकरण तथा प्रचार–प्रसार का कार्य प्रगति पर है।

परिशिष्ट–एक (1)

राज्य योजना आयोग में स्वीकृत एवं भरे पदों की स्थिति

(31 दिसम्बर, 2018 की स्थिति में)

क्र.	स्वीकृत पदनाम	श्रेणी	वेतनमान	वेतन लेवल	स्वीकृत पद संख्या	भरे हुए पद	रिक्त पद संख्या	रिर्माक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सदस्य सचिव	प्रथम	37400–67000	17	1	1	0	–
2	सदस्य	प्रथम	राज्य शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान		1	0	1	–
3	अंशकालीन सदस्य	प्रथम	राज्य शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान		1	0	1	–
4	सलाहकार	प्रथम	37400–67000	15	4	0	4	–
5	उप सचिव	प्रथम	15600–39100	14	1	0	1	–
6	संयुक्त संचालक	प्रथम	15600–39100	14	2	2	0	–
7	संयुक्त संचालक (वित्त)	प्रथम	15600–39100	14	1	1	0	–
8	अवर सचिव	प्रथम	15600–39100	13	1	0	1	–
9	शोध अधिकारी	प्रथम	15600–39100	13	3	0	3	–
10	सांख्यिकी अधिकारी	द्वितीय	15600–39100	12	4	0	4	–
11	सहायक संचालक	द्वितीय	15600–39100	12	2	1	1	–
12	प्रशासनिक अधिकारी	द्वितीय	15600–39100	12	1	0	1	–
13	स्टेनोग्राफर ग्रेड–1	द्वितीय	9300–34800	10	1	1	0	–
14	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय	9300–34800	8	1	0	1	–
15	सहा.सांख्यिकी अधिकारी	तृतीय	9300–34800	9	4	2	2	–
16	कनिष्ठ ग्रंथपाल	तृतीय	9300–34800	9	1	0	1	–
17	स्टेनोग्राफर ग्रेड–2	तृतीय	9300–34800	9	2	2	0	–
18	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	तृतीय	5200–20200	7	2	0	2	–
19	सहायक ग्रेड–1	तृतीय	5200–20200	7	1	1	0	–
20	अन्वेषक	तृतीय	5200–20200	7	4	1	3	–
21	वरिष्ठ लेखापाल	तृतीय	5200–20200	7	1	1	0	–
22	कनिष्ठ लेखापाल	तृतीय	5200–20200	6	1	0	1	–
23	सहायक ग्रेड–2	तृतीय	5200–20200	6	2	1	1	–
24	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	तृतीय	5200–20200	6	6	3	3	–
25	सहायक ग्रेड–3	तृतीय	5200–20200	4	4	1	3	–
26	वाहन चालक वरिष्ठ	तृतीय	5200–20200	4	1	1	0	

क्र.	स्वीकृत पदनाम	श्रेणी	वेतनमान	वेतन लेवल	स्वीकृत पद संख्या	भरे हुए पद	रिक्त पद संख्या	रिर्माक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	वाहन चालक कनिष्ठ	चतुर्थ	4750—7440	2	4	4	0	
28	दफ्तरी	चतुर्थ	4750—7440	2	1	0	1	
29	भृत्य	चतुर्थ	4750—7440	1	11	7	4	
30	चौकीदार	चतुर्थ	कलेक्टर दर		2	0	2	
31	वाटरमेन	चतुर्थ	कलेक्टर दर		1	0	1	
32	फर्राश	चतुर्थ	कलेक्टर दर		1	0	1	
	योग				**73**	**30**	**43**	

उपाध्यक्ष स्थापना हेतु

क्र.	स्वीकृत पदनाम	श्रेणी	वेतनमान	वेतन लेवल	स्वीकृत पद संख्या	भरे हुए पद	रिक्त पद संख्या	रिर्माक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उपाध्यक्ष	राज्य शासन द्वारा मनोनीत			1	0	1	—
2	विशेष सहायक	प्रथम	15600—39100	13	1	0	1	—
3	निज सचिव	द्वितीय	9300—34800	10	1	0	1	—
4	निज सहायक	द्वितीय	9300—34800	9	1	0	1	—
5	सहायक ग्रेड—2	तृतीय	5200—20200	6	1	0	1	—
6	वाहन चालक	तृतीय	5200—20200	4	2	0	2	—
7	भृत्य	चतुर्थ	4750—7440	1	3	0	3	—
	योग				**10**	**0**	**10**	
	महायोग				**83**	**30**	**53**	

20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

भाग - एक

सामान्य जानकारी एवं विभागीय संरचना

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1975 में बीस सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसमें 1982 और 1986 में कुछ संशोधन हुये। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धियॉ एवं अनुभवों के साथ उनके प्रकार की नई नीतियॉ और कार्यक्रम शुरू करने के कारण आर्थिक सुधारों की अनवरत प्रक्रिया, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और वैश्वीकरण को ध्यान में रखते हुये बीस सूत्रीय कार्यक्रम को पुनः संरचित करते हुये बीस सूत्रीय कार्यक्रम–2006 लागू किया गया है ।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम–2006 में ग्रामीण और शहरी जनता के हित के सूत्र है। इसके अंतर्गत देश में गरीबी हटाने और गरीब तथा शोषित जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के कार्यक्रमों पर बल दिया गया है। इस कार्यक्रम में गरीबी, रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, कृषि, भूमि सुधार, सिंचाई, पेयजल, कमजोर वर्ग का संरक्षण तथा सशक्तिकरण उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण, ई–शासन आदि जैसे विभिन्न सामाजार्थिक पहलुओं को शामिल किया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमजी) में निहित प्राथमिकताओं को विशेष महत्व दिया गया है। इसके अन्तर्गत गरीबी हटाने, उत्पादकता बढ़ाने, आय संबंधी असमानताओं को कम करने तथा सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिये राष्ट्र की प्रतिबद्धता को प्रतिपादित किया गया है। बीस सूत्रीय कार्यक्रम–2006 (एम0जी0डी0) यू0एन0 मिलेनियम डेवलपमेंट्स गोल्स और सार्क सोशल चार्टर जैसे अंतराष्ट्रीय मंच पर प्रबोधित करने एवं समीक्षा करने के अनुरूप बहुत सी मदें सम्मिलित की गई है।

केन्द्र शासन का बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग योजना की मासिक समीक्षा कर प्रतिवेदन निर्गम करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यक्रम के अंतर्गत अभिज्ञापित प्रगति की समीक्षा का दायित्व राज्य स्तर पर वित एवं योजना विभाग द्वारा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय को हस्तांतरित किया गया है। संचालनालय द्वारा संबंधित योजनाओं की प्रगति विभागाध्यक्ष कार्यालय से प्राप्त कर केंद्र शासन को प्रत्येक तिमाही में जानकारी प्रेषित की जाती है। संचालनालय स्तर पर 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु पदों की संरचना स्वीकृत नहीं है, बल्कि संचालनालय के लिए स्वीकृत अमले से ही इसे अतिरिक्त कार्य के रूप में किया जाता है।

अधीनस्थ कार्यालय

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2001 से बीस सूत्रीय कार्यक्रम विभाग के अधिनस्थ जिलाध्यक्ष कार्यालय हेतु सहायक ग्रेड–02 व सहायक ग्रेड–03 के 16–16 पद एवं विकासखण्ड कार्यालय हेतु सहायक ग्रेड–03 के 146 पद स्वीकृत है तथा राज्य स्तरीय बीस सूत्रीय क्रियान्वयन समीक्षा समिति कार्यालय हेतु निज सहायक के 01 पद तथा भृत्य के 02 पद स्वीकृत है ।

राज्य शासन द्वारा बीस सूत्रीय कार्यक्रम 2006 के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय/ब्लाक स्तर पर समीक्षा समिति का गठन किया गया है तथा राज्य स्तरीय समितियों की बैठक वर्ष में दो बार, जिला स्तरीय समिति की बैठक हर तिमाही में तथा ब्लाक स्तरीय समिति की बैठक हर माह आयोजित करने के प्रावधान किये गये है । इसी प्रकार राज्य स्तरीय बीस सूत्रीय कार्यक्रम की नियमित समीक्षा करने हेतु उप समिति का गठन किया गया है। यह उप समिति कम से कम तीन माह में एक बार बैठक आयोजित करेगी। उप समिति अपनी अनुशंसा एवं कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन हेतु सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

विभागीय दायित्व

1. कार्यक्रम की प्रगति का संकलन, अनुश्रवण एवं समीक्षा ।
1. राज्य/जिला/विकास खण्ड स्तरीय एवं शहरी बीस सूत्रीय समितियों का गठन ।
2. केन्द्र शासन के बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रसारित निर्देशों पर अनुवर्तन कार्यवाही ।
3. सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना का अनुश्रवण एवं समीक्षा ।
4. विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही ।

कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ

1. प्रबोधन एवं अनुश्रवण

इस कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र शासन से प्राप्त दिशा–निर्देशों के सापेक्ष्य में कार्यवाही करते हुए कार्यक्रम प्रगति/उपलब्धियों का राज्य प्रतिवेदन केन्द्र शासन को संप्रेषित किया जाता है। कतिपय विषयों पर न्यूनतम उपलब्धियों पर विभागीय टीप प्राप्त कर शासन को अवगत कराया जाता है । कार्यक्रम के अंतर्गत आवश्यक मार्गदर्शन एवं दिशा–निर्देश दिया जाता है ।

2. पंचायती राज संस्थाओं को प्रत्यायोजित दायित्व

इस कार्यक्रम के अंतर्गत विषयगत प्रगति व उपलब्धियों की समीक्षा का दायित्व क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं– (राज्य, जिला व जनपद पंचायतों) को प्रत्यायोजित किया गया है। कार्यक्रम की देख–रेख का दायित्व भी इन संस्थाओं को सौपा गया है ।

भाग - दो

कार्यक्रम के अन्तर्गत बजट प्रावधान एवं व्यय

कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तर/जिला/जनपद पंचायत स्तर पर स्वीकृत पदों पर होने वाले स्थापना व्यय को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा वर्ष 2018–19 में राशि रू. 16660.00 हजार रूपयें का बजट में प्रावधान किया गया है । जिसके सापेक्ष में 18 जनवरी तक 138 प्रतिशत राशि व्यय हुआ है ।

जानकारी संकलन हेतु नियत विभागः

1. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
2. राजस्व विभाग
3. आवास एवं पर्यावरण विभाग
4. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
5. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
6. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
7. आदिम जाति कल्याण विभाग
8. महिला एवं बाल विकास विभाग
9. वन विभाग
10. ऊर्जा विभाग

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत समीक्षा की विषयगत सूची :–

1. बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र/राज्य शासन द्वारा संचालित 20 कार्यकलापों को समाहित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है

1 रोजगार सृजन–महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ।

(क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना(एसजीएसवाई)।

(ख) (एसजीएसवाई)के अंतर्गत अ.जा. अ.जा. महिलाओं एवं विकलांग स्वरोजगारियों को सहायता।

2. (क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत गठित स्व सहायता ग्रुप।

(ख) स्व सहायता ग्रुप जिन्हों आय का सृजन करने वाली गतिविधियां प्रदान की गई है ।

3. (क) भूमिहीनों को बंजर भूमि का वितरण ।

(ख) अ.जा.,अ.ज.जा एवं अन्य वितरित की गई बंजर भूमि ।

4. (क) न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म लेबर सहित)

(i) किया गया निरीक्षण (ii) पाई गई अनियमितताएं

(iii) सुधारी गई अनियमितताएं

(ख) न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म लेबर सहित)

(i) किए गए दावे (ii) निपटाए गए दावे

(ग) न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म लेबर सहित)

(i) लंबित अभियोजन केस (ii) दायर किए गए अभियोजन केस

(iii) निर्णीत अभियोजन केस

5. (क) खाद्य सुरक्षा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली Targeted Public Distribution System (टीपीडीएस) अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई) एपीएल और बीपीएल के लिए

(ख) खाद्य सुरक्षा–टीपीडीएस केवल अन्त्योदय अन्न योजना(एएवाई)

(ग) खाद्य सुरक्षा–टीपीडीएस केवल गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल)

(घ) खाद्य सुरक्षा–टीपीडीएस केवल गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)

6. ग्रामीण आवास –प्रधानमंत्री आवास योजना

7. शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवास,

8. ग्रामीण क्षेत्र–एआरडब्ल्यूएसपी शामिल बसावटें (एनसी/पीसी)

9. छूटी हुई बसावटों तथा जल गुणवत्ता की समस्याओं वाली बसावटों में कार्यों की शुरूआत

10 ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम,

11 संस्थानिक प्रसव,

12. सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार

13. आईसीडीएस योजना का वैश्वीकरण (संचयी)

14. क्रियाशील आंगनबाड़िया (संचयी)

15. सात सूत्री चार्टर के अंतर्गत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवारों की संख्या

16. (क) वनरोपण – रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि)

(ख) वनरोपण – रोपित पौधे (सार्वजनिक एवं वन भूमि)

17. ग्रामीण सड़कें – पीएमजीएसवाई के अधीन निर्मित सड़के

18. राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अतंर्गत गांव को बिजली प्रदान की गई

19. पम्पसेटों को बिजली

20. विद्युत आपूर्ति